रजिस्टर्ड सं. डी-(डी एन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1990 (ज्येष्ठ 19, 1912)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1990 (JYAISTHA 19, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	443
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	679
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	911
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	619
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1759
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	73
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	443
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	679
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	911
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	583
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	619
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1759
ART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	73
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1990

सं. 49-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आजाद सिंह,
कान्स्टेबल सं. 840410074,
41 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6 जनवरी, 1989 को सायं लगभग 4.45 बजे जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का मोबाइल दल हरिकभीखीविन्द रोड पर किरतावाल गांव के नजदीक था तो उस पर सड़क के किनारे खड्डों में छिपे हुए आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। दो वाहनों में जा रहे पुलिस कार्मिक, अपने वाहनों से तुरन्त बाहर कूद गये और अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों पर हमला कर दिया। कान्स्टेबल आजाद सिंह वाहन से पहले बाहर कूदे। उनके इस कदम से पार्टी के अन्य कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला जो जल्दी से तैयार हो गए और आतंकवादियों पर हमला किया। आतंकवादियों ने खड्डों से सतलुज नदी के मन्ड क्षेत्र की ओर भागना प्रारम्भ किया और पुलिस दल ने, भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया।

दो आतंकवादियों ने अच्छी आड़ के पीछे मोर्चा सम्भाला और आगे बढ़ रहे दल पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी मोर्चा सम्भाला लेकिन कान्स्टेबल आजाद सिंह और कान्स्टेबल लोला राम ने घनी-लम्बी घास के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। आतंकवादियों द्वारा धुआंधार गोली बारी के बावजूद, दोनों कान्स्टेबलों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना जारी रखा। श्री आजाद सिंह रेंगते हुए लगभग 160 मीटर तक गए और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से वे आतंकवादियों को देख सकते थे, उन्होंने आतंकवादियों पर गोली चलाई और उनमें से एक आतंकवादी जख्मी हो गया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलियां चलाईं, कान्स्टेबल आजाद सिंह ने अपने साथी से आतंकवादी को उलझाये रखने के लिए कहा और उसने स्वयं जख्मी आतंकवादी पर दूसरी गोली चलाई और उसे मार डाला। यह देखकर कि उसका सहयोगी मारा गया, दूसरा आतंकवादी भाग गया। कान्स्टेबल आजाद सिंह ने लगभग 6 कि. मी. तक तीव्र मुस्तैदी के साथ पीछा किया लेकिन आतंकवादी अंधेरे में घनी-लम्बी घास के बीच छिपकर भागने में सफल हो गया। मृतक आतंकवादी की शिनाख्त बाद में अजीत सिंह उर्फ-जीता, एक खूंखार आतंकवादी के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री आजाद सिंह कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा।

ए. के. उपाध्याय
निदेशक

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1990

विषय : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कच्छ अपतटीय (ब्लाक-1) विस्तार "सी" क्षेत्र के 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं. ओ. 12012/20/90 ओ. एन. जी. डी. 4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसमें इसके बाद आयोग कहा गया है) कच्छ अपतटीय (ब्लाक 1) विस्तार "सी" क्षेत्र के 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना के लिए एक पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए 28 मार्च, 1989 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

2. लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) राजस्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 192 रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के मामले में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होगी ।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4/- रुपये

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/ रुपये

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये

(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषणों के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगी ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, समान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सपूर्ण आकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रति-नियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाईड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनुबन्ध "क"

कच्छ अपतटीय (ब्लाक-I), विस्तार "सी" क्षेत्र के 240 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक ।

प्वाइंट	अक्षांतर	देशांतर
ए	23° 04′ 30″	68° 42′ 15
बी	22° 58′ 15″	68° 56′ 00
सी	22° 53′ 45″	68° 54′ 00″
डी	23° 00′ 00″	68 40′ 00

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरो की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर ....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

गुरदयाल सिंह, डैस्क अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अप्रैल 1990

सं० फा० 10/3/90-सांख्यिकी--भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ 1 जनवरी, 1990 से स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संयुक्त सचिव (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (स्कूल) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
4. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (ई० ई०) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
6. उप शिक्षा सलाहकार (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
7. संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० प्र० परि० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
8. सर्वेक्षण तथा आकड़ा प्रक्रिया एकक के प्राफेसर और अध्यक्ष, रा० शै० अ० प्र० परि० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
9. निदेशक (तकनीकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।	सदस्य
10. निदेशक, एन० आई० ई० पी० ए०, 17 बी०, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
11. डा० ब्रह्म प्रकाश, सीनियर फैलो० एन० आई० ई० पी० ए०, 17 बी० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
12. प्रतिनिधि योजना आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
13. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
14. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक संगठन	सदस्य
15. सलाहकार (अनुसंधान) प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान	सदस्य
16. प्रमुख पद्धति विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	सदस्य
17. शिक्षा सचिव (स्कूल) मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
18. शिक्षा सचिव उड़ीसा सरकार	सदस्य
19. शिक्षा सचिव चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य
20. निदेशक (स्कूल शिक्षा) आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
21. निदेशक (माध्यमिक) हरियाणा सरकार	सदस्य
22. निदेशक (उच्च शिक्षा) गुजरात सरकार	सदस्य
23. प्रो० पी० के० बोस, निदेशक संसाधन कार्मिक विकास संस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज, कलकत्ता ।	गैर सरकारी सदस्य
24. डा० एम० बी० बुच प्रधान संपादक, शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण, 46, हरी नगर, गोतरी रोड, बड़ोदा ।	गैर सरकारी सदस्य
25. डा० एम० के० प्रेमी, प्राफेसर क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	गैर सरकारी सदस्य
26. उप निदेशक (सांख्यिकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य सचिव

2. क्रम सं० 17-19 में दिए गए तीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों को प्रत्येक वर्ष उल्टे वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा ।

3. क्रम सं० 20-22 में तीन राज्यों और संघ शासित राज्यों के डी० पी० आई०/डी० ई० एस० को प्रत्येक वर्ष वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा ।

4. पांच गैर सरकारी सदस्यों (जिसमें तीन को इस समय नामांकित किया जा रहा है) को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा ।

5. पुनर्गठित स्थायी समिति के कार्य इस प्रकार होंगे—

(क) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने की प्रगति की समीक्षा करना और शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने और शैक्षिक आंकड़ों के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना ।

(ख) मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले विषय-उन्मुख अध्ययनों और आवधिक अध्ययनों के लिए विषयों और प्रणाली विज्ञान का सुझाव देना और अनुमोदन करना ।

(ग) सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करने तथा उनका प्रसार करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव देना ।

6. मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना, अनुश्रवण और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा स्थाई समिति को सचिवालय सहायता उपलब्ध की जाएगी ।

7. स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते के भगतान का व्यय मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी नियमों के आधार पर वहन किया जाएगा ।

दिनांक 7 मई 1990

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरवलोकन के लिए समिति की स्थापना ।

सं० 1-6/90-पी० एन० (डी-1)—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद हमारे देश के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, जो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है, से वंचित है । यह भी एक अत्यन्त क्षोभ की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत हमारे देश में हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं । सरकार शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है—एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन रूप में । यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाए । इसके अतिरिक्त शिक्षा को कार्य तथा रोजगारोन्मुख बनाया जाना आवश्यक है, और यह भी अवश्यक है कि जो अभिजात्य विकृति हमारी शिक्षा के परिवेश की एक विशेषता बन गई है, उससे शिक्षा को मुक्त किया जाए । शैक्षिक संस्थाएं जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं । इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्म निरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनरवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसा ढांचा तैयार हो पाए, जिससे देश शिक्षा के इस ओर बढ़ सके ।

2. अतः सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरवलोकन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नानुसार होगा :—

1. आचार्य राममूर्ति, खादीग्राम, जिला मुंगेर ।	अध्यक्ष
2. प्रो० सी० एन० आर० राव, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।	सदस्य
3. डा० सुखदेव सिंह, भूतपूर्व कुलपति, पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ।	सदस्य
4. डा० एम० संतप्पा, भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय ।	सदस्य
5. डा० ओबैद सिद्दीकी, टाटा इन्स्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई ।	सदस्य
6. डा० भास्कर राय चौधरी, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।	सदस्य
7. श्री एम० जी० भाटीवाडेकर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, महाराजा कालेज, जयपुर ।	सदस्य
8. प्रोफेसर उषा मेहता, राजनीतिशास्त्रज्ञ और शिक्षक, बम्बई ।	सदस्य
9. प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति, संगम जगरलामुडी, गुंटूर ।	सदस्य
10. डा० अनिल सद्गोपाल, किशोर भारती, होशंगाबाद ।	सदस्य

11. फादर टी० वी० कुन्नुंकल, सदस्य
अध्यक्ष,
नेशनल ओपन स्कूल,
नई दिल्ली ।

12. प्रोफेसर मृणाल मिरि, सदस्य
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग ।

13. डा० विद्यानिवास मिश्र, सदस्य
कुलपति,
काशी विद्यापीठ,
वाराणसी ।

14. डा० एम० जहूर कासिम, सदस्य
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली ।

15. श्री वेद व्यास, सदस्य
अध्यक्ष,
डी० ए० वी० कालेज प्रबंध समिति,
नई दिल्ली ।

16. श्री मनुभाई पंचोली, सदस्य
लोक भारती, सणोसरा,
जिला भावनगर ।

17. श्री एम० गोपालन, सदस्यसचिव
अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली ।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:;—

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा

(ख) नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करना; और

(ग) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना ।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी । यदि समिति उपयुक्त समझे तो अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को जानकारी के लिए भेजी जाए ।

एस० पी० तुल्ली, संयुक्त सचिव,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th May 1990

No. 49-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Azad Singh,
Constable No. 840410074,
41 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th January, 1989 at about 1645 hours, when the Central Reserve Police Force mobile party was near village Kirtowal on Harike-Bhikhiwind Road, they were ambushed by terrorists hiding in the roadside ravines. Police personnel in the leading two vehicles, immediately jumped out from their vehicles and without caring for their lives charged onto the terriorists. Constable Azad Singh was first to jump out of the vehicle. His initiative inspired other party personnel, who quickly formed up and assaulted the terrorists. The terrorists started running through the ravines towards Mund area of Satluj river and the police party chased the fleeing terrorists.

Two terrorists took position behind good covers and sprayed bullets towards advancing police party. The Police party also took positions but Constable Azad Singh and Constable Lila Ram continued advancing by crawling through elephant grass. Inspite of heavy firing by terrorists, both the Constables kept on advancing, without caring for their personal safety. Shri Azad Singh crawled about 160 meters and reached a spot from where he could see the terrorists; he fired on terrorists and one of them was injured, but the other terrorist sprayed bullets on him. Constable Azad Singh asked his companion to engage the terriorist and he himself fired another shot at the injured terrorist and killed him. Seeing that his associate has been killed, the other terrorist took to his heels. Constable Azad Singh gave a hot chase upto about 6 Kms, but the terrorist managed to escape through thick elephant grass under the cover of darkness. The dead terrorist was lated identified as Ajit Singh alias Jeeta, a hard-core terrorist.

In this encounter Shri Azad Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th January, 1989.

A. K. UPADHYAY,
Director

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM & NATURAL GAS)

New Delhi, the 7th May 1990

ORDER

SUBJECT : *Grant of PEL to ONGC for Kutch Offshore (Block I) Extension 'C' area measuring 240 sq. kms.*

No. O-12012/20/89-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herin after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 28th March, 1989 for Kutch Offshore (Block I) Extension 'C' area measuring 240 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule A annexed hereto.

2. The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas a approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE—'A'

Geographical coordinates of PEL for Kutch Offshore (Block I) Extension 'C' area measuring 240 sq. kms.

Point	Latitude	Longitude
A	23° 04′ 30″	68° 42′ 15″
B	22° 58′ 15″	68° 56′ 00″
C	22° 53′ 45″	68° 54′ 00″
D	23° 00′ 00″	68° 40′ 00″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year :

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 23rd April 1990

No. F.10-3/90-Stat.—The Government of India hereby reconstitutes the Standing Committee on Educational Statistics with effect from 1st January, 1990 with following memberships :—

Chairman

1. Joint Secretary (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

Members

2. Joint Secretary (University),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

3. Joint Secretary (School),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

4. Joint Educational Adviser (EE),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

5. Joint Secretary (AE),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

6. Deputy Educational Adviser (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

7. Joint Director,
NCERT,
Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

8. Professor & Head of Survey &
Data Processing Unit,
NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

9. Director (Technical),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development

10. Director,
NIEPA, 17 B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

11. Dr. Bramh Prakash,
Senior, Fellow,
NIEPA, 17 B, Aurobindo Marg, New Delhi.

12. Representative,
Planning Commission.

13. Secretary,
University Grant Commission.

14. Joint Director,
Central Statistical Organisation.

15. Adviser (Research),
Institute of Applied Manpower Research.

16. Additional Director,
National Informatics Centre.

17. Education Secretary (School),
Government of Madhya Pradesh.

18. Education Secretary.
Government of Orissa.

19. Education Secretary,
Chandigarh Administration.

20. Director of Education (School),
Government of Andhra Pradesh.

21. Director of Education (Higher Education),
Government of Gujarat.

22. Director of Education (Secondary
Education),
Government of Haryana.

Non-Official Members

23. Prof. P. K. Bose,
Director,
Institute for Development of
Resource Personnel,
University College of Sciences,
Calcutta.

24. Dr. M. B. Buch,
Chief Editor,
Fourth Survey of Research in
Education, 46, Hari Nagar,
Gotri Road,
Baroda.

25. Dr. M. K. Premi,
Professor,
Centre for the study of Regional
Development,
Jawaharlal Nehru University.

Member-Secretary

26. Deputy Director (Statistics),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

2. Education Secretaries of three States and Union Territories at S. No. 17-18 are to be nominated every year on rotation basis in reverse alphabetical order.

3. DPIs/DEs of three states and Union Territories at S. No. 20-22 are to be nominated every year on rotation basis in alphabetical order.

4. Five non-official members (three of whom only are being nominated at present) are to be nominated by the Government of India for a period of three years.

The functions of the reconstituted Standing Committee will be as under :

(a) To review the Progress of collection of Educational Statistics by the Ministry periodically and suggest the ways and means to reduce the time lag in the collection and publication of Educational Statistics.

(b) To suggest and to approve the topics and methodologies for the theme-oriented studies and periodical studies to be under taken by the Ministry.

(c) To suggest the list of items on which collection should be done on periodical basis.

(d) To make suggestions for improving the organisational arrangements for collection and dissemination of Educational data.

(e) Any other related matter.

6. Secretarial assistance to the Standing Committee will be provided by Planning, Monitoring & Statistics Division of the Department of Education of the Ministry.

7. The expenditure towards the payment of T.A./D.A. to the non-official members of the Standing Committee on Educational Statistics will be met by Department of Education of the Ministry as per Government rules.

The 7h May 1990

Subject : Appointment of a Committee to review the National Policy on Education, 1986.

No. F.1-6/90-PN(D.I).—Despite efforts at social and economic development since attainment of Independence, a majority of our people continue to remain deprived of education, which is one of the basic needs for human development. It is also a matter of grave concern that our people comprise 50 per cent of the world's illiterate, and large sections of children have to go without acceptable level of primary education. Government accords the highest priority to education—both as a human right and as the means for bringing about a transformation towards a more humane and enlightened society. There is need to make education an effective instrument for securing a status of equality for women, and persons belonging to the backward classes and minorities. Moreover, it is essential to

give a work and employment orientation to education and to exclude from it the elitist aberrations which have become the glaring characteristics of the educational scene. Educational institutions are increasingly being influenced by casteism, communalism and obscurantism and it is necessary to lay special emphasis on struggle against this phenomenon and to move towards a genuinely egalitarian and secular social order. The National Policy on Education, 1986 (NPE), needs to evolve a framework which would enable the country to move towards this perspective of education.

2. Government have, therefore, decided to set up NPE Review Committee with the following composition :

Chairman

1. Acharya Ramamurti,
Khodigram, District Mungher.

Members

2. Professor C.N.R. Rao,
Director,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

3. Dr. Sukhdev Singh,
Formerly Vice-Chancellor,
Punjab and MP Agricultural
Universities.

4. Dr. M. Santappa,
Formerly Vice-Chancellor,
Madras University.

5. Dr. Obaid Siddiqui,
Tata Institute of Fundamental
Research, Bombay.

6. Dr. Bhaskar Roy Chaudhary,
Vice-Chancellor,
Calcutta University,
Calcutta.

7. Shri M. G. Bhativadekar,
Formerly Principal,
Maharaja College,
Jaipur.

8. Professor Usha Mehta,
Poltical Scientist and Teacher,
Bombay.

9. Professor Sachhidanand Murthy,
Sangam Jagarlamudi,
Guntur.

10. Dr. Anil Sadgopal,
Kishore Bharati,
Hoshangabad.

11. Father T. V. Kunnunkal,
Chairman,
National Open School,
New Delhi.
Professor of Philosophy,

12. Professor Mrinal Miri,
North Eastern Hill University,
Shillong.

13. Dr. Vidya Niwas Mishra,
Vice-Chancellor,
Kashi Vidyapeeth,
Varanasi.

14. Shri S. Z. Quasim,
Vice-Chancellor,
Zamia Millia Islamia,
New Delhi.

15. Shri Veda Vyasa,
Chairman,
DAV College Management Committee,
New Delhi.

16. Shri Manubhai Pancholi,
Lok Bharati, Sanosara,
District Bhavnagar.

Member-Secretary

17. Shri S. Gopalan,
Additional Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Education,
New Delhi.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :

(a) to review the National Policy on Education, 1986 and its implementation;

(b) to make recommendations regarding revision of the Policy; and

(c) to recommend action necessary for implementation of the revised Policy within a timeframe.

4. The Committee will devise its own procedure of work and submit its report as soon as possible, but not later than six months from the date of issue of the order. It may submit interim reports as may be considered appropriate.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territory Administrations, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, etc. for information.

S. P. TULI
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990